

शीत भण्डारणों तथा बागवानी उत्पाद के लिए भण्डारणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश उपदान (सब्सिडी)

उद्देश्य : फसल के बाद होने वाले नुकसान से बचाने हेतु शीत भण्डारणों तथा बागवानी उत्पाद के लिए भण्डारणों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण ।

पात्रता :

- सहकारिता, कंपनियां, निगमों, भागीदारी और मालिकाना कंपनियां,
- कृषि विपणन समितियां / बोर्डों का उत्पादन,
- कृषि उद्योग निगम और उत्पादक 'संघ।
- क्रेडिट घटक कम से कम 15% सब्सिडी की दर स्वीकार्य से अधिक होना चाहिए।
- केवल वे परियोजनाएं जहां लाभार्थी द्वारा इस उद्देश्य के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम तकनीकी मानकों और प्रोटोकॉल को पूरा किया जाता है, पात्र हैं ।

सब्सिडी : राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से बैंक-इन्डेड पूंजी सब्सिडी उपलब्ध ।

नोट : अधिक जानकारी के लिए एग्रीकल्चर बैंकिंग लिंक में - किसान - पीएनबी क्षेत्र की योजना